खण्ड—६ संख्या—२२

बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि ७ अगस्त, १९७३ ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प सूचित प्रश्न संख्या :—१११, १७५—१७९	१—१२
तारांकित प्रश्न संख्या :—११९५, १५५४, १५५५, १५५६, १५५७, १५५८, १५६०, १५६१, १५६२, १६५२, १६५६, १६५७, १६५८, एवं १६५९।	१२—३९
परिशिष्टी : १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	४०—९९
परिशिष्ट—२ ता० प्र० सं० ११९५ से सम्बन्धित आवेदन पत्र की प्रति	१००—१०३
दैनिक निबन्ध—	१०५—१०६

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उसके नाम के आगे (★) चिह्न लगा दिया गया है।

की बैठक में विद्यालय को १-१-७४ से सदा के लिए बन्द कर देने का निर्णय लिया है तथा इसकी सूचना शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भी दी गयी है;

(२) क्या यह बात सही है कि तथाकथित प्रबन्ध समिति के निर्णय से विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य अर्मचारियों की रोटी रोजी की ही समस्या गम्भीर रूप धारण कर लेगी तथा विद्यालय के चार सौ छात्रों का भविष्य भी अन्धकार में पड़ जायगा;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालय की प्रोपराइटरी सीप खत्म कर, इसके संचालन के भार को नई प्रबन्ध समिति गठित कर सौंपने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि – (१) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

———

समिति का गठन

१६२८। श्री एस० के० राय – क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पुटकी उच्च विद्यालय, पुटकी (धनबाद) जिला की प्रबन्धकारिणी समिति के संगठन की अवैधता के प्रसंग में प्रबन्धकारिणी समिति के छः सदस्यों द्वारा जून १९६९ की दी गई आपत्तियों की सुनवाई शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने ७ जून, १९७२ को की, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं दिया गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि इसमें अत्यधिक विलम्ब के कारण पूर्व संगठित अवैध समिति २३ मई, १९६९ से अबतब कार्य करती आ रही है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नई

प्रबन्धकारिणी समिति गठन करने की दिशा में अविलम्ब कदम उठाना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(१) यह सही है कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा पर्षद द्वारा इस विद्यालय द्वारा दी आपत्तियों की सुनवाई दिनांक ७-६-७३ एवं ७-७-७२ को की गई। सम्बन्धित निर्णय पर्षद कार्यालय के ज्ञापांक-४००२१-२६ दिनांक २८-६-७३ द्वारा भेजा जा चुका है।

(२) यह ठीक है कि पूर्व गठित प्रबन्धकारिणी समिति फैसले होने तक कार्यरत रही, पर इस समिति को अध्यक्ष द्वारा फैसले के बाद वैध माना गया है।

(३) पूर्व के खण्डों में दिये गये उत्तर के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता।

———

अनियमित यात्रा पर रोक

१६३३। श्री मु० शकूर—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में हर जिले के जीप गाड़ी की व्यवस्था है;

(२) क्या यह बात है कि श्री उमा प्रसाद सिंह क्षेत्रीय शिक्षोपनिदेशक, भागलपुर बराबर अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से अधिक यात्रा भत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से यात्रा करते हैं जिससे सरकार को काफी क्षति पहुँचती है;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह कभी भी अपने अनुमोदित यात्रा क्रम के अनुसार यात्रा नहीं करते हैं फिर भी उनका यात्रा भत्ता विपत्र निदेशालय से पारित कर दिया जाता है;

(४) क्या यह बात सही है कि कुछ अपने चुने खास-खास स्थानों पर प्रत्येक महीने में यात्रा करते हैं जिसमा उद्देश्य नहीं होता है;

(५) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ऐसे अनियमित यात्रा को रोकने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।